न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 रिव्यु पी.बी.आर. / 16

रामकटोरी वेवा स्व0 विजयबहादुर सिंह
जाति कौरव ठाकुर, निवासी करहिया,
तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर, म0प्र0

............आवेदिका

विरूद्व

मुन्नीबाई वेवा स्व0 मोहनचन्द्र जैन
निवासी ग्राम करहिया, तहसील चीनौर,
जिला ग्वालियर

............अनावेदिका

पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर के प्रकरण कमांक अपील 571 / पी.बी.आर. / 2016 रामकटोरी विरूद्व मुन्नीबाई में पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 के पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1007–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–4–2016	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 571–पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 1–3–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	